जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　दिनाँक 21.04.2025

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 118 वाहनों से 1,59,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 118 वाहनों से 1,59,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 162/2025 धारा 76/115(2)/351(3)/64(1)/352/324(2) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता परमेश्वर उर्फ छिन्नू पुत्र रामदरश निवासी चन्दौली माफी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 21.04.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 16.04.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी के साथ उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 13.04.2025 को दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्यवाही कर आज दिनांक 21.04.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 सचिन्द्र नाथ राय, हे0का0 सोनू पटेल, का0 हरेन्द्र यादव।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ‘‘ऑपरेशन कनविक्शन’’ अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ‘‘ऑपरेशन कनविक्शन’’अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 21.04.2025 को मा0 न्यायालय– ए0एस0जे0/एप0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/2021 धारा 376AB भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता इस्लामुद्दीन उर्फ चिनमोली पुत्र तकसीम निवासी पसाई थाना बखिरा संतकबीरनगर को दोषसिद्ध के आधार पर आजीवन कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

मु0अ0सं0 222/2021 धारा 376AB भादवि व धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त इस्लामुद्दीन उर्फ चिनमोली को धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 376AB भा0द0वि0 एवं 5M/6 पाक्सो एक्ट की धारा में दण्ड की मात्रा समान है।